प्रेस विज्ञप्ति

दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स पर व्यापक रिपोर्ट जारीः

विशेषज्ञों के पैनल ने कॉमनवेल्थ गेम्स की प्रक्रिया में गोपनीयता एवं अलोकतांत्रिक व्यवहार पर सवाल उठाया

नई दिल्ली, 13 मई 2010ः हाउसिंग एंड लैंड राइट्‌स नेटवर्क (एचएलआरएन) ने ''2010 का कॉमनवेल्थ गेम्सः किसका वैभव (वेल्थ)? किसका सर्वहित (कॉमन्स)? शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, ने एक कार्यक्रम में अधिकारिक रूप से रिपोर्ट जारी की, उसके बाद समुचित आवास पर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व विशेष दूत मिलून कोठारी की अध्यक्षता में पैनल चर्चा हुई। पैनल के अन्य सदस्यों में डा. अमिताभ कुण्डु, प्रोफेसर अर्थशास्त्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; दुनु राय, निदेशक, खतरा केन्द्र; डा. शालिनी मिश्र, शोधार्थी, एचएलआर; एवं शिवानी चौधरी, सह निदेशक, एचएलआरएन शामिल रहे।

2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स नई दिल्ली में, 3 से 14 अक्तूबर तक आयोजित होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स की प्रक्रिया को उल्लेखनीय बनाने वाले कई अनुत्तरित सवालों को देखते हुए, *हाउसिंग एंड लैण्ड राइट्‌स नेटवर्क – साउथ एशिया रीजनल प्रोग्राम* (एचएलआरएन) ने कॉमनवेल्थ गेम्स के विभिन्न आयामों पर एक अध्ययन करने का निर्णय लिया। एचएलआरएन के अध्ययन ने एक बारगी होने वाले इस खेल आयोजन के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के औचित्य पर सरकार से सवाल उठाया है, जिससे कि लोगों को कोई फायदा पहुंचने के बजाय खासकर समाज के सबसे दरकिनार किये गये लोगों के मानव अधिकारों के तमाम उल्लंघन हो रहे हैं।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष में निम्न बातें शामिल हैंः

- 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत द्वारा बिडिंग का निर्णय न तो पारदर्शी था और न ही लोकतांत्रिक था, जिससे देश को रुपये 137 करोड़ की चपत लगी। भारत ने 72 लाख अमेरिकी डॉलर (रुपये 32.4 करोड़) की पेशकश की, जिससे कथित तौर पर भारत के पक्ष में डील पक्की हुई।
- भारत सरकार एवं दिल्ली सरकार ने खेलों के लागत एवं बजट की कमी का उत्तरदायित्व लेने का निर्णय लिया गया, जबकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग द्वारा सन 2003 में इसके खिलाफ चेतावनी दिये जाने के बाद भी ऐसा किया गया।
- कॉमनवेल्थ गेम्स के बजट में शुरूआती अनुमान रुपये 1899 करोड़ के खर्च मुकाबले अधिकारिक आंकड़ा रु. 10,000 करोड़ हो चुका है, जबकि स्वतंत्र विशेषज्ञों का अनुमान रुपये 30,000 करोड़ है।
- खेल के बुनियादी ढांचों हेतु अब तक शुरूआती अनुमान के मुकाबले 2,160 फीसदी खर्च हो चुके हैं।
- कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए केन्द्र सरकार के बजट में युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय को आबंटन 2005–06 के बजट के मुकाबले 2009–10 के बजट में 6,235 फीसदी बढ़ चुका है।
- बुनियादी ढांचों, सौन्दर्यकरण परियोजनाओं एवं सुरक्षा के लिए होने वाले खर्च अब भी अनजाना है, जो कि सैकड़ो करोड़ होने की संभावना है।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने जुलाई 2009 के रिपोर्ट में प्रायोजकों, एवं राजस्व उगाही सहित खेल के कुछ वित्तीय पहलुओं पर सवाल उठाया है।
- दिल्ली में *अनुसूचित जाति उप योजना (विशेष घटक योजना)* के फंड को कॉमनवेल्थ गेम्स संबंधित मद में खर्च हस्तांतरित कर दिया गया।
- कॉमनवेल्थ गेम्स संबंधित परियोजनाओं की वजह से अब तक 1 लाख परिवार बेदखल हो चुके हैं। खेलों से पहले 33 अन्य झुग्गी क्षेत्रों को हटाया जाना है, जिसमें अनुमानित तौर पर 03 से 40 हजार परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है।
- ''भिखारियों'' एवं बेघर नागरिकों की घेरेबंदी, गिरफ्तारी की जा रही है, और *बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959* के अंतर्गत मनमाने तरीके हिरासत में रखा जा रहा है। सामाजिक कल्याण विभाग ने दिल्ली में ''सहिष्णुता रहित क्षेत्र'' घोषित किया है और ''भिखारियों'' को अपने मूल राज्यों में वापस भेजने की योजना सहित उन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है।
- कॉमनवेल्थ गेम्स के निर्माण स्थलों पर मजदूरों का जबरदस्त शोषण हो रहा है, जिसमें कम मजदूरी देना, काम की असुरक्षित परिस्थितियां, आवास का अभाव शामिल है।
- दुनिया भर में बड़े खेल आयोजनों के अनुभवों ने साबित किया है कि इससे मेजबादन देश को

Housing and Land Rights Network

South Asia Regional Programme

A 1 Nizamuddin East
Lower Ground Floor
New Delhi 110013, INDIA
+91 (0)11 2435 8492
info@hic-sarp.org
www.hic-sarp.org

नुकसान ही होता है, खासकर यदि सुरक्षा में होने वाले खर्च को जोड़ दिया जाए तो, भारत द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किए जाने वाले खर्च से राष्ट्र के लिए नकारात्मक वित्तीय विरासत (फाइनेंसियल लिगेसी) खड़ी होने की संभावना है, जिसके असर दिल्ली वासियों के लिए महंगे रहन–सहन एवं टैक्स के रूप में पहले से ही दिख रहे हैं।

- इन खेलों से भारत के खेलों में सुधार होने की संभावना नहीं है, क्योंकि स्टेडियमों पर होने वाले खर्च बेकार होते हैं, जो कि 1982 के एशियाई खेलों के अनुभव बताते हैं।

एचएलआरएन रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की पूरी प्रक्रिया राष्ट्र के लिए, और खासकर दिल्ली शहर के लिए दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागतों के साथ अनिवार्य रूप से गोपनीयता, जानकारी की अनुपलब्धता, एवं असंवैधानिक गतिविधियों द्वारा रेखांकित है। खेलों के लिए होने वाली विभिन्न किस्म की तैयारियों के फलस्वरूप दिल्ली शहर के सामाजिक, स्थानिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय आयामों में अपरिवर्तनीय बदलाव पहले से ही दिख रहे हैं। इसमें से ज्यादातर लोकतांत्रिक अभिशासन एवं नियोजन प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए किये जा चुके हैं।

दिल्ली को विश्व–स्तरीय शहर और अंतरराष्ट्रीय खेलों के केन्द्र के तौर पर प्रस्तुत करने के लक्ष्य की वजह से – राज्य एवं केन्द्र दोनों ही स्तर पर – भारत सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं और अपने लोगों के प्रति कानूनी व नैतिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दृष्टि खो दी है।

रिपोर्ट के कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- निर्णय प्रक्रिया और बोली (बिडिंग) की प्रक्रिया एवं कुल खर्च के बारे में पूरी और व्यापक जांच की जानी चाहिए।
- कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित सभी वित्तीय साधनों का सार्वजनिक खुलासा किये जाने की जरूरत है।
- सरकार के पास खेलों के लिए मानव अधिकार और पर्यावरणीय स्थिरता वाली सिद्धांत पर आधारित विरासत योजना (लिगेसी प्लान) बनाये जाने की जरूरत है।
- जिन अधिकारियों ने खेलों से होने वाले फायदे को लगातार बढ़ा चढ़ाकर बताया, महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाया, एवं फंड का दुरूपयोग किया उनकी जांच होनी चाहिए, यदि वे दोषी साबित होते हैं ता, उन्हें सजा दिये जाने की जरूरत है।
- व्यापक सामाजिक एवं पर्यावरणीय असर आकलन के लिए खेल के बाद एक लेखा परीक्षण किये जाने की जरूरत है।
- मानवों अधिकारों के हनन को रोकने एवं सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों एवं पर्यावरणीय कानूनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किये जाने की जरूरत है।
- कॉमनवेल्थ गेम्स के संबंध में मानव अधिकार हनन की जांच किये जाने की जरूरत है।
- *बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959* को रद्द किये जाने की जरूरत है।

पैनल के विशेषज्ञों ने एचएलआरएन के रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए जोर दिया कि कॉमनवेल्थ गेम्स की पूरी प्रक्रिया, मानव अधिकारों के हनन सहित, भारतीय संविधान के दायित्वों के विपरीत है। विशेषज्ञों ने इस बात पर भी जोर दिया कि कॉमनवेल्थ गेम्स के आर्थिक एवं सामाजिक लागत अनुमान से भी ज्यादा बदतर हो सकते हैं। खेलों की लागत रुपये 70,000 करोड़ तक जा सकती है, और खेलों के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती हैं।

जिस देश में बड़े स्तर पर गरीबी, भूखमरी, असमानता, आवासहीनता, एवं कुपोषण हो वहां कॉमनवेल्थ गेम्स की व्यापकता और बेहिसाब लागत को देखते हुए, इसे जायज ठहराना मुश्किल है। जहां तीन में से एक भारतीय गरीबी रेखा के नीचे रहता है और दुनिया के 40 फीसदी भूखे लोग भारत में रहते हैं, जहां भारत के 46 फीसदी बच्चे और 55 फीसदी महिलाएं कुपोषित हों, वह देश 12 दिन के खेल आयोजन के लिए हजारो करोड़ रुपये खर्च कर रहा है, तो इससे ''राष्ट्रीय गौरव'' बढ़ता है या यह ''राष्ट्रीय शर्म'' का मामला है?

रिपोर्ट का स्पष्ट रूप से कहना है कि भारत की गंभीर सामाजिक–आर्थिक असलियत और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पहले से दिख रहे नकारात्मक सामाजिक व आर्थिक लागत के मद्देनजर, **भारत को ओलम्पिक खेलों या अन्य दूसरे महा आयोजनों के लिए, किसी भी परिस्थिति में बोली नहीं लगानी चाहिए**। ओलम्पिक के लिए बोली के किसी भी निर्णय के बारे में संसद में चर्चा होनी चाहिए और जनता की मंजूरी के बाद ही किया जाना चाहिए।

एचएलआरएन की रिपोर्ट ने एक अहम सवाल उठाया है कि यदि भारत वास्तव में असली एवं दीर्घकालिक राष्ट्रीय प्रतिष्ठा चाहता है, तो यदि उपलब्ध संसाधनों को बड़े खेल आयोजनों में खर्च करने के बजाय अपनी जनता के लिए भोजन, आवास, शिक्षा, सैनिटेशन, जल, एवं स्वास्थ्य सेवा में खर्च करे तो क्या यह हासिल नहीं होगा? इस देश की गंभीर सामाजिक वास्तविकता के मद्देनजर, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन एक जायज आवश्यकता है या अकारण फिजूलखर्ची?

रिपोर्ट की प्रति के लिए कृपया info@hic-sarp.org को लिखें।

ज्यादा जानकारी के लिए सम्पर्क करें : मिलून कोठारी (*98106 42122*), शालिनी मिश्र (*995862 5344*), शिवानी चौधरी (*9818 205234*)